

क्रमांक : प.4(110)वित्त-1(1)आय.व्य/2020

जयपुर, दिनांक : 23.09.2021

स्वीकृति आदेश 65/2021-22

उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज.जयपुर, की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सीटीएडी/ प्रस्ताव /2021-22/दिनांक 20.09.2021 (स्वीकृति संख्या-09/2021-22) में अंकित कार्यों एवं शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रुपये 200.00 लाख (अक्षरे रुपये दो करोड़) मात्र की सीमा तक के लिये मुख्य अभियंता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निम्नलिखित बजट मद से राशि आहरित करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:-

माँग संख्या -30

- 4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
- 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
- (22) - बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)
- [02] - छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण
- 17 - वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)

राशि रु. 200.00 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम,

2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

- sd -

(सुनील सोनी)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. मुख्य अभियंता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. लेखाधिकारी, वित्त(बजट)विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को भेजकर लेख है कि कार्यकारी एजेन्सी को राशि उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)